मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26—अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेलरोड, भोपाल.

कमांक / मंडी कार्मिक / प्रांगण / 32 / 2 / ब / पार्ट—1 / 1153 भोपाल, दिनांक 10 / 01 / 2017

## परिपत्र

प्रायः यह देखने मे आया है कि मंडी प्रांगण / उपमंडी प्रांगण में निर्मित संरचना जैसे :— गोदाम / शापकम गोदाम / शेन्ड्रीशाप / केंटीन तथा भूखंड आवंटन की कार्यवाही म.प्र. कृषि उपज मंडी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम 2009 में विहित प्रावधानों के अंतर्गत नही की जाती है। संरचना आवंटन के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर जांच उपरांत अनियमितता किये जाने का तथ्य प्रकाश मे आता है।

अतः भविष्य में संभाग के अंतर्गत मंडी प्रांगण / उपमंडी प्रांगण में निर्मित संरचनाओं का आवंटन प्रचलित नियम / निर्देश में विहित प्रावधानों के अंतर्गत की जाये। म.प्र. कृषि उपज मंडी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम 2009 के नियम 8 के अंतर्गत आंचलिक कार्यालयों के उपसंचालक / कार्यपालन यंत्री नीलामी समिति के सदस्य भी है। यदि कोई संरचना के आवंटन की कार्यवाही नियमों के विपरित की जाती है तो इसके लिये उपसंचालक / कार्यपालन यंत्री भी समान रूप से उत्तरदायी होगें।

(राकेश श्रीवास्तव)
प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

कमांक / मंडी कार्मिक / प्रांगण / 32 / 2 / ब / पार्ट—1 / 1154 भोपाल, दिनांक 10 / 01 / 2017

प्रतिलिपि :— आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित्।

1. निज सचिव प्रबंध संचालक म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल ।
2— अपर संचालक / मुख्य अभियंता / संयुक्त संचालक / अधीक्षण यंत्री / उप संचालक / कार्यपालन यंत्री (समस्त) म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल ।
3— अपर संचालक / संयुक्त संचालक / उप संचालक (समस्त) म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय ............................(समस्त) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।
4— कार्यपालन यंत्री म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग............................ (समस्त) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल